

IV 05/2014

# भारतीय गैर संचायिक

## भारत INDIA

₹. 500

FIVE HUNDRED  
RUPEES

पाँच सौ रुपये

RS. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 271606

श्री बाबूनन्दन जन सेवा द्रस्ट

रामपुर बन्नरा, नन्दगंज, गाजीपुर

न्यास विलेख

यह न्योक्स आज दिनांक 23/01/2014 को सैद्धपुर गाजीपुर में श्री सच्चे लाल पुत्र बाबूनन्दन निः ग्राम व पो-नैसारा, परगना व तहसील सैद्धपुर, जनपद गाजीपुर उपग्रह द्वारा घोषित किया गया जिसमें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा वयोंकि न्यासकर्ता/संस्थापक वर्ष 5000/- (पाँच हजार रु०) की राशि है। जिसे कि वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्य देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति संकरणीय न्यास बनानेहेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से विशेष रूप से विशेष कार्य करेगा वयोंकि यह द्रस्ट श्री बाबूनन्दन जन सेवा द्रस्ट के नाम जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे आगे संक्षिप्त में द्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

वयोंकि द्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग द्रस्टी होगा जिसे आगे द्रस्ट का अव्यक्त कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न ज्ञोतों से दान उनकार ऋण आदि भी समिलित है जिसके द्वारा द्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ावे राकि द्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल ऋण 5000/- (पाँच हजार रु०) की उनकार राशि द्रस्ट को प्रदान की है और वयोंकि उन्नीसामं में शेष द्रस्ट का पंजीकरण कार्यालय निः ग्राम व पो-नैसारा, परगना व तहसील सैद्धपुर, जनपद गाजीपुर उपग्रह ० रखेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय निः ग्राम व पो-नैसारा, परगना व तहसील सैद्धपुर, जनपद गाजीपुर उपग्रह ० होगा अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर कार्यालय का संगमनुसार समय-समय पर उद्घित स्थान पर स्थानान्तरण किया जा सकता है।

वयोंकि न्यास कर्ता/द्रस्टी अव्यक्त द्वारा द्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति नियमाला निम्न प्रकार घाराबद घोषित किया जा सकता है।  
**श्री बाबूनन्दन जन सेवा द्रस्ट**

(इण्डियन द्रस्ट एक्ट 1862 के अन्तर्गत कार्यरक्त द्रस्ट)

द्रस्ट के उद्देश्य - द्रस्ट नियम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा-

- विना लिंग भेद किये सबके लिए प्रायमिक, जूनियर शाईस्ट्रॉफ, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, रिक्सा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुस्तकालयों, बाधनालयों, प्रयोगशालाओं, विकित्सालयों, अनाधालयों, वृद्धालयों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, ऐस स उत्थान केन्द्रों की सीधीपना करना, नामकरण विकास, सम्बद्ध आवद्ध, प्रबन्धन संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिवदों विभागों, प्रतिवानों संस्थाओं, स्थानों, शासन आदि से माझ समद्द, आवद्ध पंजीकृत, अनुमोदित गतिविधियों का संचालन करना।
- ग्राम विकास अग्रिकल्चर गतिविधियों का संचालन करना।
- खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
- कृषि कार्य देतु खंजर भूमि सुधार एवं कटाव शोक कर पाल सुखा एवं नामी संरक्षण करना।

प्रबन्धक

श्री बाबूनन्दन जन सेवा द्रस्ट  
रामपुर बन्नरा, नन्दगंज-गाजीपुर

संचयन वा०

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 714216

१. चंद्रशील क्रपण एवं संगलात का विकास करना।

२. मठिला भाल विकास एवं स्वास्थ्य संहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।

३. प्रतियोगिता परीक्षाओं की दैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

४. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि, विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

५. केन्द्र सरकार के सभी विभागों नानव संसाधन, समाज कल्याण, नाशांत्र, कपाट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार दोष, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद, युवा कल्याण ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।

६. आईआईटी०, आईआईटी०, कामेंटी, चर्च ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।

७. समाज के लोगों के लिए हास्टल नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किशना की दुकान, फोटोस्टेट, कम्पनी, एन्ड वाघनालय, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण, विभी एवं मूल्य निर्धारण करना एवं व्यवस्था करना।

८. जंघे, गूरो, बड़रे, असाधार लोगों के लिए शिक्षा दिक्कत्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।

९. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, ऐजानिक, क्रीड़ा, नार्सल आदि, संगीत, तकनीकी, सामाजिक आधुनिक भाषा अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबंध करना।

१०. विभिन्न प्रातियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सकल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन-अध्यापन आवास आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना।

११. पुस्तकों, साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण वितरण आदि कर सकना।

१२. सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यावरण कार्यक्रम अधिवेशन, गोष्ठियों सम्मेलन, प्रतियोगिताओं, बैठकों विशेष कक्षाओं एवं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित करना।

१३. सिलाई, काढाई, मुनाई, स्कीन प्रिन्टिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।

१४. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी, ट्रस्ट हाथ संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, विवि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजिनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।

१५. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

१६. विवि सम्मिलित उपयोगी जानकारी का प्रधार प्रसार कर सकना।

१७. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रधार प्रसार कर सकना।

१८. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रधार प्रसार कर सकना।

१९. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रसार करने के लिए पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।

२०. ऐक्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रधार प्रसार कर सकना।

२१. पुस्तक, पुस्तिकार्य, पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित करना, वितरित करना, विश्वी कर सकना।

प्रबन्धक

श्री यामुनदेव जन सेवा ट्रस्ट  
रामगंग-वन्नराम, नन्दगंग-गांगोपुर

१८८८

# भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

₹.50

भारत

FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

AP 714219

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 26. दृष्टि क्षमा दी जा रही सेवाओं/यस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारित कर सकना तथा प्राप्त करना।
- 27. पत्राधार द्वारा अच्छायपन, अच्छायन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्संविधि आवश्यक व्यवस्थाएँ कर सकना।
- 28. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण चुनाव, उत्तर चुनाव, जैसे सामाजिक दायित्व के विषय पर चौतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
- 29. धार्मिक स्थलों को निर्माण य जीर्णोदार का सकना।
- 30. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यकारी का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
- 31. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छान्त्रवृत्ति हेतु पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्वृति विनह आदि प्रदान कर सकना।
- 32. विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों, टेक्निकल कालेजों, प्रौद्योगिकी के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार में अन्य को प्रदान कर सकना।
- 33. ट्रस्ट के कोष एवं संपदा में शुद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देशयों में प्रयोग करना।
- 34. ट्रस्ट जन सामाज्य के वित्तीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा संभव अपनी सेवा/पर्सनल लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट हासा जनहित में सड़क खड़ों, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रयास कर सकना।
- 35. ट्रस्ट के बल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा। जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देशयों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
- 36. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर एवं ट्रस्ट के उद्देशयों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
- 37. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली विलानिक का निर्माण करना। कृषि मण्डी व सब्जी मण्डी का निर्माण व संचालन करना।
- 38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना, फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
- 39. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला, प्रदेश एवं देश पर पदाधिकारियों का यथन करना एवं अधिकार देना।
- 40. दलित, पिछड़ी, अल्पसंख्यकों को संगठन बनाकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत करना।
- 41. घरना, प्रदर्शन, कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार आर्थिक अधियेशन के माध्यम से अपनी भाग शासन-प्रशासन तक पहुंचाना।
- 42. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टल का निर्माण करना।
- 43. सेक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण देना तथा उनको रोजगार उपलब्ध करना।
- 44. रसायन विभाग में तथा रसायन सम्बन्धित शास्त्रों का प्रयास प्रसार करना, बाल स्वास्थ्य कैम्प, शिविरों का आयोजन, एड्स कैंसर, नेत्र शिविर, नेत्र विकित्सालय, आपरेशन गृह परिवार के लिये टीकाकरण मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण, मातृत्व विकास, बाल विकास, बाल अम उन्नालन एवं पुस्टाइर, हाटकुकुड़ में सहभागिता करना। जनसंख्या नियन्त्रण परामर्श केन्द्र संचालन करना, विकित्सालय संचालन करना।
- 45. कंस्ट्रक्शन वार्षना, मकान खरीद फरोजात करना (प्राप्टी डिलिंग) सड़क निर्माण, बड़ी तालाब, हिन्दू पाप देना, विधायक निये, सारांश निये, प्रवान निये तथा अन्य प्रकार के जनोपयोगी कार्यकारी कार्यकारी का संचालन व्यवस्था करना, सरकारी तथा अर्द्धसरकारी टेक्नो पर कारों का संचालन एवं टेक्नोटीकरण। सभी प्रकार के वरतुओं का उत्पादन और बिक्री व पैदिंग करना, रिसर्च सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया पर कार्यक्रम टैयार करना व संचालन करना।

प्रूफ - इन

राज्य न्यायिक

दिल्ली न्यायिक नियम

# भारतीय गोर्नर्न्यायिक

पचास  
रुपये  
₹.50

भारता

FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

\* उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 714218

## प्रारम्भिक उपबंध-

- वर्तमान में द्रस्ट डॉड के पंजीकृत के दिनांक से 23/01/2014 जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रघयिता भी है को इस मैनेजिंग द्रस्ट का अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
- यदि कोई अन्य अध्यक्ष मैनेजिंग द्रस्टी अध्यक्ष श्री सच्चे लाल द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो श्री सच्चे लाल की मृत्यु के पश्चात उनके सभसे बड़े पुत्र या पति इस द्रस्ट के द्रस्टी होंगे।
- वर्तमान मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जथ चाहे अपना उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

## मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण-

- मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे।
- मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन में ही मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
- किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष का पद बनते ही वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो इस द्रस्ट डॉड के मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हैं।
- मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यवितरण उत्तराधिकारी ही द्रस्ट का भी मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई अनुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
- मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष को लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दे। मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है।
- इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यालय मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में ही गई वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अंतिम रूप से मान्य होगी।
- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं करेगा।
- कार्यालय मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विवद पर अपने विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जथ तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।
- कार्यरत मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को विद्या गाया कार्यभार हस्तान्तरण समर्त अधिकारी सहित पूर्ण माना जायेगा।

## बोर्ड ऑफ द्रस्टीज-

- यह कि मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष यदि उसिंह समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ द्रस्टीज का गठन कर सकता है। जिसमें कि अधिकारी हफ्कीस सदस्य होंगे। द्रस्टी की कार्यालय मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को द्रस्टी शब्दोन्मीत कराते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। द्रस्टी की कार्यालय मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्मार करती है तथा मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही विना किसी कोई कारण बताये द्रस्टी के पद से हटा सकता है।

प्रबन्धक

श्री वासुनन्दन जन रेया द्रस्ट  
रामपुर बन्दरा, मन्दगांज-गाजीपुर

११८३८ १०५



२

भारतीय गोरुन्याधिक

पचास  
रुपये  
₹.50

भारत

FIFTY  
RUPEES  
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 714217

१. यह कि मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ द्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अवधाता मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।

२. यह कि बोर्ड आफ द्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिसको मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष हारा सुनिश्चित किया जायेगा।

३. यह कि बोर्ड आफ द्रस्टीज हारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता उस संदर्भ में मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष के हारा लिया गया निर्णय ही मात्र एवं अतिन होगा।

अध्यक्ष मैनेजिंग द्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएँ—

१. यह कि अध्यक्ष/द्रस्टी हारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय अंतिम रूप से मात्र होगा।

२. यह कि अध्यक्ष/द्रस्टी अपना उत्तरदायित्व पठन करने हेतु द्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगना कार्यक्षेत्र—

द्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष में होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति को सड़ायता एवं राय प्राप्त कर सकता है व यता व शय दे सकता है।

१. मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार—

मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि यह द्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी कार्यकलापों में भी किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बंधित पक्षों को अंतिम रूप से मात्र एवं स्वीकार होगा।

२. संधिय/उपसंधिय की नियुक्ति—

यह कि मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष द्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए द्रस्ट के लिए एक संघिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसंधियों की नियुक्ति कर सकेगा।

१. यह कि संधिय/उपसंधिय के देशन भत्ते सुविधाये, कार्य नियम, मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष हारा स्वीकृत किये जायेंगे।
२. यह कि उक्त संधिय/उपसंधिय मैनेजिंग द्रस्टी को अनुप्राप्त तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।


१०८-५८०

प्रबोन्धक

श्री बानूनन्दन जन रोड द्रस्ट  
रामपुर वन्नरा, नन्दगांज-गाजीपुर



# भारतीय योरु न्यायिक



## उत्तर प्रदेश अधिकारी नियुक्ति RAJASTHAN

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने या देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति इवं अध्यक्षता पड़ने पर अधिकार वा उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

17AC 762220

1. यह कि उपाध्यक्ष / उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यनत कार्य करेंगे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विलम्ब प्रशासनिक / अनुशासनात्मक / प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है। तथा इन पदों पर नियुक्तियों कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

### 4. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-

यह कि द्वारा डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा द्वारा प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/द्वारा निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे।

मृ बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

2. द्वारा के सभी कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देखरेख करने के उपाध्यक्ष, सचिव/उपसचिवों की नियुक्ति करना।

3. इस द्वारा डीड में उल्लिखित द्वारा के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना एवं रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

### 5. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-

अध्यक्ष/द्वारा की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा यताये विषयों पर विचार विर्ग छेत्र बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परंतु उपाध्यक्ष की अनुमति को कोई निर्णय नहीं ले सकता है।

### 6. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य-

द्वारा के समस्त कार्यों के लिए द्वारा का सचिव अंतिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है, द्वारा के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं।

1. द्वारा के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना है।

2. द्वारा के अन्तर्गत होने वाले सभी क्रियाकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण करना।

3. द्वारा के अन्तर्गत संघालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उसके विलम्ब प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकना।

4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु गोष्ठी/विभागों, कौन्डों, संस्थाओं, उपसंस्थाओं का संचालन एवं उसके संयोजकों, निदेशकों, पदाधिकारियों आदि का संचालन हेतु आध्यक्षता नियम/उपनियम बना सकना।

5. द्वारा संस्था को प्राप्त किसी शिक्षायत की जांच निर्णयक नियुक्ति कर सकना।

6. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में सुसंक्षेप कार्यविभाजन कर सकना।

राज्य नं. ३१०



प्रधान नियुक्ति

राज्य नं. ३१०



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7. प्रधार, प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/प्रितरण/विक्रय की संपूर्णतम व्यवस्था करना एवं जन सामान्य के कल्पनागत विभिन्न आवश्यक सकता।

8. संघिव की अनुपस्थिति में प्रशासनिक एवं निर्णयिक अधिकार प्राप्त करना।

9. संघिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना।

10. संघिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

7. ईक एकाउण्ट का संचालन करना—

1. द्रस्ट का खाता किसी भी बैंक से खोला जा सकेगा मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं उसके हारा इस छेत्र अधिकृत व्यवित मैनेजिंग द्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

8. विधिक कार्यवाही—

यदि संस्था/द्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विलम्ब कोई विधिक कार्यवाही होती है तो संघिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्थिय या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

9. सम्पत्ति सम्बन्धी—

1. द्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के संबंध में वह सभी अधिकृत रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त है।

2. द्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के संबंध में द्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख विलेख हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

3. द्रस्ट अध्यक्ष की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के संबंध में कोई भी लेख विलेख बनाने के निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

4. द्रस्ट चल अचल सम्पत्ति के क्रय विक्रय कर सकता है रेहन रथ सकता है किशाये पर दे सकता है अथवा ले सकता है।

5. द्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह भेट, तमान, पुरस्कार, स्मृति विन्दु, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है अथवा दे सकता है।

6. द्रस्ट घन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है सुरक्षित कर सकता है। किसी बैंक संस्था कम्पनी में किसी योजना से घन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

7. द्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्याभूति भाड़ा क्रय, अनुशासि बंदक भरित, गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है अथवा दे सकता है।

10. विशेष—

1. इस द्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते हैं। परंतु यदि वह इस डीडे आप द्रस्ट श्री शाश्वतनन्दन जन सेवा द्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधिक वा अतिक्रमण करते हैं तो यह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शूद्ध होगे।

2. अध्यक्ष/द्रस्टी यदि उपर्युक्त समझे तो किसी/किसी परिस्थितियों में इस द्रस्ट डीडे के किसी/किसी प्राविधिकों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधिक/प्राविधिकों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का प्रिवेट व्यवस्था ही अद्वितीय होगी। श्री शाश्वतनन्दन जन सेवा द्रस्ट की उपर्युक्त न्यायालय एवं उसमें सम्मिलित श्री शाश्वतनन्दन जन सेवा द्रस्ट के उपदेश्य एवं नियमावली अधिनियमित है।

५८८८ रुपये

# भारतीय और न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

Rs.20

TWENTY  
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उसमें घोषित आलोचित एवं तत्काल से कार्यान्वयन की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं सम्मान कर व्यवहार में लाने हेतु निम्न लाइनों की उपस्थिति में छस्त्राकार किये गये।

25AA 101335

संक्षीण-

1. नाम- पक्त कुमार पा० १० हीराभा०

विवा०- देवपुर चौ० बैसारा ब० १० सैदपुर  
निलाला गाजीपुर

2. नाम- पक्त कुमार पा० १० हीराभा०  
विवा०- देवपुर चौ० बैसारा ब० १० सैदपुर

मिनांक- २५/११/२०१५

(संस्थापक / अध्यक्ष)

मसविदाकर्ता

नन्दकू सिंह  
(एडवोकेट)

रजिस्ट्रेशन नं ५५६७/१०

न-हृष्टाते० १५.

प्रधन्यक

पी वादूनन्दन जन सेवा ट्रस्ट  
रामपुर चन्दोरा, नन्दगांज-गाजीपुर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AC 514521

श्री वातूनन्दन जनसेवा ट्रस्ट रामपुर बन्तरा, गाजीपुर में समिलित बोर्ड आफ ट्रस्टी के नाम / पद व पते -


क्रम	नाम	पदनाम	व्यवसाय	पता
1	श्री सच्चेलाल	अध्यक्ष/ मैनेजिंग ट्रस्टी	कृषि	ग्राम व पोस्ट - नैसारा, गाजीपुर
2	श्री महेन्द्र यादव	ट्रस्टी	कृषि	ग्राम - बेलासी पोस्ट - बेलसड़ी, गाजीपुर
3	श्री शिवमूरत	ट्रस्टी	कृषि	ग्राम - जमुआब, पोस्ट - बड़सरा, गाजीपुर
4	श्री ओमप्रकाश	ट्रस्टी	कृषि	ग्राम व पोस्ट - सहेड़ी, गाजीपुर
5	श्री धर्मेन्द्र	ट्रस्टी	कृषि	ग्राम - जैतपुरा, पोस्ट - जंजीरपुर, गाजीपुर
6	श्री अच्छेलाल	ट्रस्टी	कृषि	ग्राम व पोस्ट - नैसारा, गाजीपुर
7	श्रीमती विद्या देवी	ट्रस्टी	गृहणी	ग्राम व पोस्ट - सहेड़ी, गाजीपुर

प्रबन्धक  
श्री वातूनन्दन जन सेवा ट्रस्ट  
रामपुर बन्तरा, गाजीपुर.

‘‘राष्ट्रीय रजिस्ट्रीफरण अधिनियम’’ की धारा ३२(१) के अन्तर्गत-निष्पादनकर्ताओं वरी अंगुलियों के प्राप्ति चिन्ह -  
नाम निष्पादनकर्ता / विक्रेता / ब्रेता

नाहिने हाथ

५८८

				
अंगुच्छ	तज्जनी	मध्यमा	अनामिका	गोला
वार्ष हाथ का -				

				
अंगुच्छ	तज्जनी	मध्यमा	अनामिका	गोला
प्रस्तावक -	५८८ ८१७			

नाम निष्पादनकर्ता / विक्रेता / ब्रेता

नाहिने हाथ

				
अंगुच्छ	तज्जनी	मध्यमा	अनामिका	गोला
वार्ष हाथ का -				

				
अंगुच्छ	तज्जनी	मध्यमा	अनामिका	गोला
प्रस्तावक -				

प्रबन्धक

श्री बाबूलन्दन जन सेवा द्रष्ट  
रामपुड़ कन्तरा, कन्द्रम-गाजीपुर